**न्यायालय–अपर जनपद न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) द्वितीय, सहारनपुर।**

**उपस्थितः–प्रबोध कुमार वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) (ID No.-UP1853)**

**सिविल निगरानी संख्याः–174/2025**

**C.N.R. Number:-UPSP010138332025**

– – – – – – – – – – – – –

1–दिलशाद अहमद पुत्र मंजूर हसन, निवासी ग्राम जैतपुर खुर्द प0 मुजफ्फराबाद तहसील बेहट, जिला सहारनपुर।

––––––निगरानीकर्ता/प्रतिवादी।

**<u>बनाम</u>**

1–मौ0 हनीफ उर्फ रूकबान पुत्र मौ0 उमर निवासी जैतपुर खुर्द प0 मुजफ्फराबाद तहसील बेहट, जिला सहारनपुर।

––––––प्रत्यर्थी/वादी।

**<u>निर्णय</u>**

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), हवाली, सहारनपुर द्वारा प्रार्थना पत्र–32ए1 अन्तर्गत अदेश 6 नियम 17 संबंधित वाद सं0–904/2024, मौ0 हनीफ बनाम दिलशाद अहमद में पारित आदेश दिनांकित 09–10–2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र–32ए1 आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी मौ हनीफ उर्फ रूकबान द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र–32ए1 अन्तर्गत अदेश 6 नियम 17 संबंधित वाद सं0–904/2024, मौ0 हनीफ बनाम दिलशाद अहमद में इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त वाद दायर करने के बाद दौरान वाद प्रतिवादी को जबरदस्ती अपने गिरोहबन्दी के आधार पर वादी के ख०नं० 166/2 की करीब 35 फिट पूरब–पश्चिम तथा करीब 40 फीट उत्तर दक्षिण भूमि पर कब्जा

करके निर्माण करके लिन्टर डाल दिया है तथा ऊपर प्रथम मंजिल पर भी निर्माण कार्य कर रहा है इसके कुछ अन्य भाग पर भी जिसकी पूरब–पश्चिम 25 फीट और दक्षिण 40 फीट पर कब्जा करके टीन शैड का निर्माण कर लिया है जो दौरान वाद किया है। प्रतिवादी का वादी के ख०नं० 166/2 की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है जिसको न्यायालय द्वारा हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस कारण वाद में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वाद में वांछित संशोधन व दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध निगरानीकर्ता/प्रतिवादी की ओर से आपत्ति कागज संख्या–37सी2 प्रस्तुत कर वादी के कथनों का खण्डन किया है तथा मुख्यतः यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र खिलाफ कानून व नाजायज कथनों के आधार पर दाखिल किया गया है, जो मय खर्चा खास निरस्त होने योग्य है। केवियट प्रार्थनापत्र दिनांक 06.08.2024 को लायक अदालत के समक्ष पेश किया गया और वादी द्वारा मूलवाद प्रतिवादी के विरूद्ध एक माह बाद 06.09.2024 को झूठे व असत्य कथनों के आधार पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपना उत्तर पत्र दिनांक 12.09.2024 को पेश किया गया और वादी के द्वारा कह गये कथनों का खण्डन किया गया, जिसका उत्तर पत्र विरुद्ध काउन्टर क्लेम वादी द्वारा आज तक दाखिल नहीं किया गया है। इसी आधार पर प्रार्थनापत्र पोषणीय ना होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र तरमीम में डिक्री मैन्डेटरी निषेधाज्ञा की दादरसी विरूद्ध प्रतिवादी चाही गयी है, जो कि खिलाफ कानून व नाजायज है परन्तु जिन तामीरात का कथन प्रार्थनापत्र तरमीम में किया गया है, उसके अनुसार वादपत्र के पैरा नम्बर–8 में जो कि मूल्यांकन के सम्बन्ध में है। मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी तरमीम नहीं चाही गयी है और पहले से निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर ही वाद का मूल्यांकन निर्धारित कर दिया है। इसी आधार पर प्रार्थनापत्र तरमीम हरगिज भी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है। आपत्ति के साथ शजरा बतौर सूची सबूत संलग्न किया जा रहा है, जिसमें ख0नं0 166/2 दर्ज नहीं है। इसी आधार पर प्रार्थनापत्र तरमीम निरस्त होने योग्य है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान अवर न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र–32ए1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 संबंधित वाद सं0–904/2024, मौ0 हनीफ बनाम दिलशाद अहमद को दिनाँक 09–10–2025 को आंशिक रूप से स्वीकार किया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी संस्थित की गयी है।

5. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09–10–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि हुकम व फार्मल आर्डर दिनांकित 09.10.2025 बाबत स्वीकार करने प्रार्थना पत्र 32ए1, खिलाफ वाकियात, खिलाफ कानून व बिला इख्तयार है इसलिए हुक्म व फार्मल आर्डर दिनांकित 09.10.2025 काबिले इखराज है। रेस्पोन्डेंट ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2024 योजित किया था तथा वादी द्वारा निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के विरूद्ध योग्य निम्न न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा अन्तरिम मुकदमा दायर करते समय प्रार्थना की तथा रेस्पोन्डेंट द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध अपने वादपत्र के पैरा नं0 5 में आधार वाद में यह कथन किया कि रेस्पोन्डेंट ने निगरानीकर्ता को बहुत कहा और कहलवाया कि निगरानीकर्ता अपनी अनुचित धमकी देना बन्द कर दे लेकिन निगरानीकर्ता कोई सुनवाई बैरून अदालत नही कर रहा है। इसी कारण वाद दायर करने की आवश्यकता हुई है। रेस्पोन्डेंट ने अपने वादपत्र मे पैरा नं0 6 में यह कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा रेस्पोन्डेंट की भूमि पर कब्जा करके निर्माण करने की धमकी देने से तथा दिनांक 03.09.2024 को आखिरी बार रेस्पोन्डेंट की सम्पत्ति निम्नलिखित पर कब्जा करने की तथा उस पर निर्माण करने की धमकी से प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत स्वयं रेस्पोन्डेंट द्वारा जो विवरण सम्पत्ति अपने वादपत्र में दर्ज करी तथा फैहरिस्त सबूत से जो कागज दाखिल किये वह एक किता प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी तथा दूसरा कागज एक किता प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा वाके ग्राम जैदपुर खुर्द प० मुजफ्फराबाद त० बेहट जिला सहारनपुर तथा स्वंय अपने खसरे में आबादी होना स्वीकार किया परन्तु अपने वादपत्र के मूल्यांकन के संबंध में सलाना लगान मुबलिग 9.20 रूपये का तीस गुना 276 रूपये तथा उस पर बने निर्माण की कीमत एक लाख रूपये कुल योग 1,00,276/– रूपये पर कायम कर

दिया जो कि विधि विरूद्व था। यदि सम्पत्ति संक्रमणीय भूमिधरी की थी तो केवल लगान पर मूल्यांकन निर्धारित होता परन्तु रेस्पोन्डेंट द्वारा स्वंय फेहरिस्त सबूत से जो खसरा दाखिल किया है उसमें आबादी दर्ज है, जिससे पता चलता है कि रेस्पोन्डेंट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आया है। जबकि वास्तविकता यह है कि निगरानीकर्ता के द्वारा रेस्पोन्डेंट के विरूद्व एक केविएट दिनांक 06.08.2024 इसी उद्देश्य के साथ दाखिल की थी कि निकट भविष्य में यदि रेस्पोन्डेंट द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई वाद योजित किया जाता है तो उसकी विधिक सूचना निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को प्रेषित करायी जाये तथा केविएट में विवरण सम्पत्ति भी दर्ज दिखाई। इसके विपरीत रेस्पोन्डेंट द्वारा तुरन्त अपना वाद 06.09.2024 को पेश कर दिया तथा यही दर्शाया कि निगरानीकर्ता सम्पत्ति में कब्जा करके तामीरात करने की धमकी दे रहा है। वादपत्र रेस्पोन्डेंट का 03.09.2024 को योजित किया गया, जिसके विरूद्ध पहले ही केविएट 06.08.2024 को रेस्पोन्डेंट के विरूद्व निम्न न्यायालय में दाखिल थी, इसके साथ–साथ रेस्पोन्डेंट द्वारा अपना उत्तरपत्र 12.09.2024 को दायर किया तथा उत्तरपत्र दायर करते समय रेस्पोन्डेंट के विरूद्ध कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा फेहरिस्त सबूत 13 सी 1 से कागज 1 ता 21 दाखिल किये, जिसमे लेखपाल की आख्या 10.08.2024 भी दाखिल की गई, जो बतौर एनैक्चर नं० 1 निगरानी हाजा में पेश की जा रही है तथा उक्त रिपोर्ट में लेखपाल महोदय द्वारा यही आख्या पेश की गई कि निगरानीकर्ता अपना पुराना मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है, जिससे साबित होता है कि दिनांकित 10.08.2024 को भी निगरानीकर्ता का मकान वजूद में था। इस तथ्य को भी योग्य निम्न न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया तथा प्रार्थनापत्र 32ए1 के विरूद्ध जो आपत्तिया निगरानीकर्ता 37सी2 से दाखिल की गई उन आपत्तियो में केविएट तथा काउंटर क्लैम तथा प्रार्थनापत्र वास्त मुकर्रर कराये जाने अमीन तथा आपत्ति के पैरा नं0 4 में जो विवरण दर्शाया, योग्य निम्न न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की आपत्ति का कोई अवलोकन नही किया तथा विधि विरूद्ध व मनमाने ढंग से प्रार्थनापत्र 32ए1 केवल यह कहते हुए कि प्रार्थना पत्र शपथपत्र समर्थित है। प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया, परन्तु इस बात का कुछ उल्लेख नही किया कि आपत्ति 37सी2 मिनजानिब निगरानीकर्ता शपथपत्र से

समर्थित है। इस तथ्य को पूर्णरूप से अपने आदेश में नजरअंदाज करके चलना जल्दी व बगैर आपत्ति का अवलोकन किये हुए पारित किया हुआ आदेश है, जो कि हर सूरत में खण्डित होने योग्य है। वास्तविकता यह कि विवादित सम्पत्ति पर बना मकान खसरा नं0 166/1 है, जिसमें निगरानीकर्ता अपने परिवार के साथ रह रहा है तथा रेस्पोंडेट खिलाफ कानून व न्यायालय को भ्रमित कराकर निगरानीकर्ता की सम्पत्ति को अपने खसरा नं0 166/2 में योग्य निम्न न्यायालय द्वारा घोषित कराना चाह रहा है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है इसलिए प्रार्थना पत्र 32ए1 हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा अपना वाद साक्ष्यों के साथ पेश किया गया था तथा अमीन महोदय की आख्या मुतालिका विवादित मकान के समबन्ध में मंगायी जाने की प्रार्थना की थी, जिस पर रेस्पोन्डेंट द्वारा आज तक कोई आपत्ति नही दी गई तथा बगैर अमीन महोदय की आख्या के जो कि निम्न न्यायालय द्वार यह निष्कर्ष निकाल देना कि दौरान वाद निगरानीकर्ता जबरदस्ती अपने गिरोहबन्दी के आधार पर रेस्पोन्डेंट के खसरा नं0 166/2 की करीब 35 फुट पूरब पश्चिम तथा करीब 40 फुट उत्तर दक्षिण पर कब्जा करके निर्माण करके लिंटर डाल लिया तथा ऊपर प्रथम मंजिल पर भी निर्माण कर रहा है इसके कुछ अन्य भाग पर भी जिसकी पूरब पश्चिम 25 फिट और दक्षिण 40 फिट पर कब्जा करके टीन शेड के निर्माण के कथन को स्वीकार किया, खिलाफ कानून व जल्दी में लिया हुआ फैसला है। प्रार्थनापत्र स्वीकार होने से पूरी वाद की प्रकृति बदल जाती है। यदि रेस्पोन्डेंट को यह स्वीकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा जबरदस्ती ताकत के बल पर विवादित सम्पत्ति में निर्माण कर लिया है तथा निर्माण हटवाकर रेस्पोन्डेंट का उस पर कब्जा करवाया जाये तो यह भी दादरसी मेन्डेटरी इन्जेक्शन की परिभाषा में नही आती है। कब्जा प्राप्ति के दादरसी हेतु विवादित सम्पत्ति के पूर्ण निर्माण पर न्यायशुल्क देना लाजिम हो जाता है। यदि योग्य निम्न न्यायालय का आदेश स्थिर रहता है तो स्वीकार किया गया प्रार्थनापत्र 32ए1 वाद की पूर्ण प्रकृति को बदल देगा, जिसका सीधा प्रभाव निगरानीकर्ता की सम्पत्ति पर पड़ेगा। प्रार्थनापत्र 32ए1 किसी भी सूरत में बरकरार रहने से वाद की पूर्णरूप से प्रकृति बदल जायेगी तथा मूल्यांकन के आधार पर भी जो कि निम्न न्यायालय क्षेत्राधिकार बाधित हो जायेगा, इसी आधार पर प्रार्थना पत्र–32ए1 पूर्णरूप से निरस्त

किये जाने योग्य है। योग्य निम्न न्यायालय के हुक्म व फॉर्मल आदेश दिनांक 09.10.2025 पारित करते समय अपने अधिकार का गलत व खिलाफ कानून इस्तेमाल किया है, जिससे कानून में इररेगूलर्टी साफ दिखती है। अतः हुक्म व फार्मल आर्डर दिनांकित 09.10.2025 बाबत स्वीकार करने प्रार्थनापत्र 32ए1 मुतालिक मूलवाद सं0 904/2024, मौ0 हनीफ बनाम दिलशाद अहमद मंसूख किया जाकर निगरानी हाजा हर दो अदालत स्वीकार करने की याचना की गयी है।

6. प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता एवं रेस्पोन्डेन्ट न्यायालय में उपस्थित है। उभय पक्षों को विगत तिथि पर सुना गया।

7. तलबिदाशुदा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 09–10–2025 में उल्लिखित किया है कि, ''वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। प्रार्थनापत्र कागज संख्या–32ए1 के माध्यम से वादी ने कथन किया है कि दौरान वाद प्रतिवादी जबरदस्ती अपने गिरोहबन्दी के आधार पर वादी के ख0नं0 166/2 की करीब 35 फिट पूरब–पश्चिम तथा करीब 40 फीट उत्तर दक्षिण भूमि पर कब्जा करके निर्माण करके लिन्टर डाल दिया है तथा ऊपर प्रथम मंजिल पर भी निर्माण कार्य कर रहा है इसके कुछ अन्य भाग पर भी जिसकी पूरब–पश्चिम 25 फीट और दक्षिण 40 फीट पर कब्जा करके टीन शैड का निर्माण होने का कथन किया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने से वाद की प्रकृति नहीं बदलेगी और न ही किसी पक्षकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना दर्शित होती है। अतः ऐसी स्थिति में वाद के प्रभावी निस्तारण हेतु उक्त प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।'' अपने उक्त आदेश द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र–32ए1 आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। उक्त के अनुपालन में वादी द्वारा वाद पत्र में तद्‌नुसार संशोधन भी कर दिया गया।

8. विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी हनीफ द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी दिलशाद के विरूद्ध दिनांक 06–09–2024 को प्रस्तुत किया तथा उसके पश्चात् प्रार्थना पत्र–32ए1 अर्न्तगत

आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अर्न्तगत दिनांक 08–11–2024 को बाबत आज्ञापक व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया। जिसको विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

9. **<u>आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 में प्रावधानित है कि–अभिवचनों का संशोधन–</u>** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जायेंगे, जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों :

परंतु विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुँचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

10. निगरानीकर्ता का मुख्य आधार है कि निगरानीकर्ता द्वारा फेहरिस्त सबूत 13 सी 1 से कागज 1 ता 21 दाखिल किये, जिसमे लेखपाल की आख्या 10.08.2024 भी दाखिल की गई, जो बतौर एनैक्चर नं० 1 निगरानी हाजा में पेश की जा रही है तथा उक्त रिपोर्ट में लेखपाल महोदय द्वारा यही आख्या पेश की गई कि निगरानीकर्ता अपना पुराना मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है, जिससे साबित होता है कि दिनांकित 10.08.2024 को भी निगरानीकर्ता का मकान वजूद में था। कागज सं0–5सी2/6 के अवलोकन से दर्शित होता है कि लेखपाल द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 10–08–2024 में दिलशाद के प्रार्थना पत्र बाबत इस आशय का विपक्षी एकबान दिलशाद की भूमि में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेखपाल द्वारा आख्या दी गयी कि ख0न0–166/2 रकबई 0.410 हेक्टेयर व 166/6 रकबई 0.205 में विपक्षी हनीफ उर्फ एकबान के नाम अंकित है। स्थानीय पूछताछ में बताया गया कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है, उक्त भूमि पर प्रार्थी अपना पुराना मकान तोड़कर नया मकान बना रहा है। उक्त तिथि को प्रश्नगत सम्पत्ति पर कोई मकान किस पक्ष का था या नही, यह साक्ष्य का विषय है। पत्रावली पर कोई

कमीशन रिपोर्ट भी दाखिल नही है, जिससे यह दर्शित हो कि प्रश्नगत सम्पत्ति पर निर्माण कहां–कहां पर है। वादी द्वारा जो आज्ञापक व्यादेश का संशोधन कराया गया है, उसको मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा अपना वाद सिद्ध करना होगा तथा प्रतिवादी को अतिरिक्त लिखित कथन का अवसर प्राप्त होगा।

11. जहां तक निगरानीकर्ता ने यह आधार लिया है कि रेस्पोन्डेन्ट को यह स्वीकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा जबरदस्ती ताकत के बल पर निर्माण कर लिया है तथा निर्माण हटवाकर रेस्पोन्डेन्ट का उस पर कब्जा करवाया जाये तो यह भी दादरसी मेन्डेटरी इन्जक्शन की परिभाषा में नही आती है। कब्जा प्राप्ति के दादरसी हेतु विवादित सम्पत्ति के पूर्ण निर्माण पर न्यायशुल्क देना लाजिम हो जाता है। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने लिखित कथन में प्रश्नगत सम्पत्ति का वादी द्वारा मूल्यांकन कम करने तथा उसपर न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा करने का कथन किया गया है। पत्रावली में अभी वाद बिन्दु विरचित नही है, मूल्यांकन के संबंध में वाद बिन्दु विरचित होने के पश्चात् उसका निस्तारण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक रूप से किया जायेगा।

12. यदि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 09–10–2025 द्वारा संशोधन की अनुमति नही दी गयी होती तो वादी को अन्य वाद दायर करना पड़ता, जिससे वाद की बहुलता को बढ़ावा मिलता।

13. चूकिं अभी पत्रावली में वाद बिन्दु विरचित नही किये गये है। वाद बिन्दु के निस्तारण के पश्चात् पत्रावली साक्ष्य में अग्रसर होगी। अतः साक्ष्य से पूर्व ऐसे सभी संशोधनों को अनुमति दी जा सकती है, जो दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

14. **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था समीर नारायण भोजवानी बनाम अरोरा प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स** (2018) 17 एस0एस0सी0 203 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि आज्ञापक व्यादेश का उपयोग किसी नए अधिकार या नई स्थिति के सृजन हेतु नहीं किया जा सकता, बल्कि यह केवल किसी विधिक बाध्यता के उल्लंघन को रोकने अथवा अनुचित रूप से बदली गई स्थिति को पूर्ववत करने के लिए दिया जाता है।

15. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 09–10–2025 पारित करने में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नही की गयी है और न ही अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के विचार में आलोच्य आदेश दिनांकित 09–10–2025 में हस्ताक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण है। प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09–10–2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

**आदेश**

16. प्रस्तुत दीवानी निगरानी संख्या–174 / 2025 दिलशाद बनाम मौ0 हनीफ निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद सं0–904 / 2024, मौ0 हनीफ बनाम दिलशाद अहमद में पारित आदेश दिनांकित 09–10–2025 पुष्ट किया जाता है।

17. इस आदेश की एक प्रति अविलम्ब विद्वान अवर न्यायालय को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

18. उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।

19. आवश्यक कार्यवाही उपरान्त निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–27–08–2026

**(प्रबोध कुमार वर्मा)**
अपर जिला जज,(त्वरित न्यायालय), द्वितीय,
सहारनपुर।
**(ID No.-UP1853)**

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–27–08–2026

**(प्रबोध कुमार वर्मा)**
अपर जिला जज,(त्वरित न्यायालय), द्वितीय,
सहारनपुर।
**(ID No.-UP1853)**



Digitally signed by PRABODH KUMAR VERMA
Date: 2026.08.29 11:12:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court